www.dbrau.ac.in
www.sjnpkm.org

05744-242163
244250

श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय

कासगंज

डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध

PROSPECTUS

PROSPECTUS

विवरणिका

2021 - 22

मूल्य आवेदन पत्र सहित
₹ 250/-

रजिस्टर्ड डाक से
₹ 275/-

सरस्वती वन्दना

सरस्वती वंदना

माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे .....
दुःख की घड़ी काली निशा, तम में पड़ी चारों दिशा ।
बाती बुझी अंधी शिखा, फिर स्नेह से उजियार दे।। माँ शारदे .....
ये तार हैं हारे हुये, स्वर मौन मन मारे हुये।
इस बीन में संगीत की, फिर से सहज झनकार दे ।। माँ शारदे .....
जो था जुड़ा बिछुड़ा हुआ, श्री हीन सब उजड़ा हुआ ।
देवी दया की कोर से, उसको नया श्रृंगार दे।। माँ शारदे .....
सब एक हों, सब नेक हों, शुचि प्रेम का अभिषेक हो ।
जो नेम का, वो क्षेम का, वह प्यार का संसार दे ।। माँ शारदे .....

प्रबन्धक की कलम से

विदुषी अध्यापिका, कुशल संस्थापिका, सरल हृदया डा0 शारदा जौहरी के अथक प्रयासों से सन् 1973 से अनवरत संचालित शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय में नवीन सत्र में प्रवेश हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

यह महाविद्यालय कासगंज जनपद में छात्राओं की गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा का एकमात्र स्त्रोत है। अतः आशा है आप इसकी महत्ता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे अनेकानेक ऊँचाइयों तक पहुँचाएंगे। पुनः शुभकामनाएं।

श्रीमती रजनी साहू
प्रबन्धक
श्रीमती शा० जौ० न० पा० क०
महाविद्यालय, कासगंज

नगर पालिका परिषद कासगंज बोर्ड के समस्त सम्मानित सदस्य, नामित सदस्य, पदेन सदस्य व अध्यक्ष

1.	श्रीमती रजनी साहू जी	मा0 अध्यक्ष
2.	श्री राजवीर सिंह साहू जी	अध्यक्ष प्रतिनिधि
3.	मा0 श्री राजवीर सिंह उर्फ राजू भईया जी	मा0 सांसद
4.	मा0 श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत	मा0 सदर विधायक
5.	श्री सुनील कुमार जी	सभासद
6.	श्रीमती दर्शन देवी जी	सभासद
7.	श्रीमती विरमा देवी जी	सभासद
8.	श्री संजीत कुमार जी	सभासद
9.	श्री कालीचरन जी	सभासद
10.	श्री नेत्रपाल जी	सभासद
11.	श्री पुष्पेन्द्र सोनी जी	सभासद
12.	श्रीमती गुड्डो देवी धनगर जी	सभासद
13.	श्रीमती सोनवती उर्फ सोनवती जी	सभासद
14.	श्रीमती सईदाबानो जी	सभासद
15.	श्री जयन्त शिवा जी	सभासद
16.	श्रीमती शिवानी जी	सभासद
17.	श्री अमित वर्मा जी	सभासद
18.	श्रीमती हेमलता जी	सभासद
19.	श्रीमती कमलेश देवी जी	सभासद
20.	श्रीमती अंजली जी	सभासद
21.	श्री हृदेश कुमार जी	सभासद
22.	श्री अनुराग बिन्दल जी	सभासद
23.	श्रीमती सुषमा उर्फ सुषमा देवी जी	सभासद
24.	श्रीमती सुमन पालीवाल जी	सभासद
25.	श्री मनोज कुमार जी	सभासद
26.	श्री मु0 उवेश जी	सभासद
27.	श्री मनमोहन जी	सभासद
28.	श्री सगीर अहमद जी	सभासद
29	श्री मु0 शाहिद जी	सभासद
30.	श्री अभिषेक माहेश्वरी जी	नामित सभासद
31.	श्री दुर्गेश कुमार जी	नामित सभासद
32.	श्री संजय पुण्ढीर जी	नामित सभासद
33.	श्री द्वारिका प्रसाद माहौर जी	नामित सभासद
34.	श्रीमती वंदना साहू जी	नामित सभासद

प्राचार्या की कलम से

नगर के प्रतिष्ठित श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय, कासगंज में प्रवेश लेने हेतु तत्पर सभी छात्राओं को हार्दिक बधाई एवम् शुभकामनाएं तथा आप सभी के वर्तमान एवम् उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा है कि आप महाविद्यालय का अभिन्न अंग बनकर इसकी कीर्ति को चहुँ ओर फैलाएंगे।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, कठोर अनुशासन, सुयोग्य, सुशिक्षित गुरूजनों का संरक्षण शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम, उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम, एन.एस.एस. व एन.सी.सी. आदि गतिविधियों द्वारा महाविद्यालय सदा प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहा है। आपसे आशा है कि आप महाविद्यालय में प्रवेश लेकर माता-पिता की आकांक्षाओं एवम् गुरुजनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।

ले0 भावना टिम्मल
प्राचार्या
श्रीमती शा० जौ० न० पा० क०
महाविद्यालय, कासगंज

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

शैक्षिक कलैण्डर सत्र 2021–2022

		विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तिथियाँ	शासन द्वारा प्रस्तावित तिथियाँ
1.	Web Registration स्नातक प्रथम वर्ष (प्रवेश परीक्षाओं को छोड़कर)	30 जुलाई, 2021 से	
2.	(a) (i) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	26 जुलाई, 2021 से	
	(ii) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पंजीकरण की अन्तिम तिथि	21 अगस्त, 2021	
	(iii) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश की अन्तिम तिथि	04 सितम्बर, 2021	
	(b) स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए प्रवेश की अन्तिम तिथि।	04 सितम्बर, 2021	
3.	(i) स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष, एवम् सैमिस्टर पाठ्यक्रमों के तृतीय/पंचम/सप्तम सैमिस्टर में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि की तिथि	02 अगस्त, 2021	
	(ii) स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष एवम् सैमिस्टर पाठ्यक्रमों के तृतीय/पंचम सैमिस्टर में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	03 अगस्त, 2021	
4.	स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	03 अगस्त, 2021	
5.	महाविद्यालयों में (स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों) द्वारा नामांकन शुल्क, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क सहित विश्वविद्यालय में नामांकन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	*	
6.	(i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के परीक्षाफार्म भरने की अन्तिम तिथि (ii) सैमिस्टर पाठ्यक्रमों के परीक्षाफार्म भरने की अन्तिम तिथि	14 नवम्बर, 2021	
7.	पुन: परीक्षा की तिथि	सितम्बर मध्य, 2021	
8.	व्यक्तिगत परीक्षाओं के परीक्षाफार्म नवम्बर, 2021 में भरवाया जायेगा	*	
9.	विषय (ODD) सैमिस्टर परीक्षायें	जनवरी 2022 का दूसरा सप्ताह	
10.	सम (EVEN) सैमिस्टर परीक्षायें	मई 2022 का दूसरा सप्ताह	
11.	वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा मार्च, 2022 के प्रथम सप्ताह से अप्रैल, 2022 के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न होगी		
12.	परीक्षाफल 31 अगस्त, 2022 तक घोषित होगा		
13.	ग्रीष्मकाल अवकाश शासनादेशानुसार होगा		

विश्वविद्यालय के आदेशानुसार

* शासन के निर्देशों तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन सम्भव है।

कुलसचिव

श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय

कासगंज

परिचय

विरल चेतन के मर्मज्ञ महामना स्वर्गीय श्री बालकृष्ण राव ने 1973 में महाविद्यालय का उद्घाटन किया। काव्य मनीषी तत्कालीन कुलपति श्रद्धेय राव साहब ने महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर महाविद्यालय आगमन पर प्रसन्नता व तृप्ति का अनुभव किया। उन्होंने भाषण में कहा ''मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि यह महाविद्यालय आप लोगों की निष्ठा, लगन, कार्य करने की अदम्य शक्ति के बल पर दिनोदिन उन्नति करता जायेगा। उसके कुलपति पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन क्यों न हो, इतनी बड़ी निष्ठा और लगन के सामने विनयावनत् होकर आपके महाविद्यालय की सेवा करने के लिये संकल्प करेगा।'' राव साहब के सन्देश को आत्मसात् कर लोक मांगल्य के शिखर से बहने वाली ज्ञान गंगा इस महाविद्यालय की प्रतीक है।

प्रारम्भ से ही महाविद्यालय का परीक्षाफल लगभग शत–प्रतिशत रहता है । विगत अनेक वर्षों से महाविद्यालय की छात्राओं ने विश्वविद्यालय में सम्मानित हो महाविद्यालय और शहर का गौरव बढ़ाया है। स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में हिन्दी सामान्य, हिन्दी साहित्य, सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, सामान्य संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत गायन तथा संगीत वादन (तबला–सितार),शारीरिक शिक्षा आदि विषयों का अध्ययन होता है।

जहाँ तक स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रश्न है, महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत एम.ए. संगीत (तबला), हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र एवं संस्कृत विषय का अध्ययन होता है। प्रारम्भ से ही महाविद्यालय विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र है तथा छात्राओं की चारित्रिक सर्वांगीण उन्नति ही संस्था का उद्देश्य है ।

इस महाविद्यालय की प्रथम संस्थापक प्राचार्या डॉ0 (श्रीमती) शारदा जौहरी जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही महाविद्यालय का अस्तित्व सामने आया है। महाविद्यालय के प्रत्येक कार्य एवं क्षेत्र पर उनकी सुस्पष्ट छाया प्रतिबिम्बित होती है। उनकी इसी लगन, कर्मठता एवं असीम निष्ठा के कारण ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने नगर पालिका परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर 'श्रीमती शारदा जौहरी नगरपालिका कन्या महाविद्यालय, कासगंज के रूप में परिवर्तन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी।

वर्तमान में ले0 भावना टिम्मल प्राचार्या पद पर पूर्ण कर्मठता एवं मनोयोग से कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं । समस्त महाविद्यालय परिवार आपके कुशल निर्देशन में कार्य करते हुये महाविद्यालय के सत्त विकास में सहभागी बनकर गर्व का अनुभव कर रहा है ।

सोवियत नेहरु पुरुस्कार विजेता जन कवि केदारनाथ अग्रवाल के महाविद्यालय के सम्बन्ध में विचार

आज दिनांक 15 अप्रैल सन् 74 को मैंने नगर पालिका कन्या महाविद्यालय को देखा। श्रीमती शारदा जौहरी प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ बुलाकर यह सुअवसर प्रदान किया मेरी आंखो ने महाविद्यालय ही नहीं, मानवीय चेतना का महामन्दिर देखा। मैं इसके निर्माण में लगी दृढ़ आस्था के परम सौम्य एवं भव्य रुप से अभिभूत हो गया। स्वच्छता, निर्मलता और विशदता का यह मनोहारी प्रतीक आँखो से होकर मेरे अन्त :स्थल में बैठता ही चला गया। इससे मुझे हृदय–हृदय की धड़कनें सुनाई देने लगीं, स्वप्न की अनन्त भाव भंगिमायें इसके प्रकोष्ठ से मुखर होती रहीं। मैं शुद्ध सात्विक मन से कामना करता हूँ कि महाविद्यालय उत्तरोत्तर विद्या बुद्धि और विवेक के चरित्रमय चित्र प्रत्येक के जीवन में साकार करता चले। काश! मैं भी इस महाविद्यालय की नींव की एक ईंट होता।

केदारनाथ अग्रवाल

25.4.74

आचार्य श्री क्षेमचन्द्र सुमन के महाविद्यालय के सम्बन्ध में विचार

आज मुझे नगर पालिका कन्या महाविद्यालय, में आकर यहाँ की कन्याओं को उद्‌बोधित करने और इसकी प्राध्यापिकाओं के बीच कुछ देर रहने का सुअवसर मिला। यहाँ के समस्त वातावरण की गरिमामयी आभा से मन प्राण पुलकित हो गये। मानस तरंगणी के सभाकक्ष को देखकर तो आँखें धन्य हो गयी। इन सब उदात्तता और महिमामयी साँस्कृतिकता के पीछे इस विद्यालय की प्राचार्या डा० श्रीमती शारदा जौहरी की अथक लगन, अपूर्व कार्यनिष्ठा और सतत साधना का उज्ज्वल आलोक बिखरा नजर आया। इसी आलोक की प्रेरणा महाविद्यालय के सारे कार्यकर्ताओं की मार्गदर्शिका है।

मैं अखिल भारत के प्राय: अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अपनी साहित्य शोध यात्रा के प्रसंगों में गया हूँ। मुझे यह लिखने में तनिक संकोच नही कि नगर पालिका कन्या महाविद्यालय का वातावरण उन सबसे अलग दिखाई दिया। यहाँ आकर ही मुझे यह आभास हुआ कि मैं एक पावन विद्यामन्दिर में आया हूँ। शिक्षा के अतिरिक्त छात्राओं के जीवन को सांस्कृतिक आधार प्रदान करना भी किसी शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्यवश सारा ही वातावरण इस भावना से आलोकित दृष्टिगत हुआ। मैं इस संस्थान के उत्तरोत्तर उत्कर्ष का अभिलाषी हूँ।

क्षेमचन्द्र सुमन

17 अक्टूबर 1981

डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक : 30.06.2020 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र : 2021–2022

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनयम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा आवासीय संस्थान एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा। जिसकी सम्बद्धता विशविद्यालय एवम् उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदया से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेगें।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रमाणी) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट ww.dbrau.org.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेगी।
5. महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. **Admission Monitoring System** शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया। कुलपति जी ने कोविड-19 महामारी और कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया कि **Admission Monitoring System** की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अथ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 100/- रू० तथा परास्नातक स्तर पर 200/- रू० शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी पुस्तिका ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 250/- रूपये नकद आगामी सत्र 2021-22 के लिए रखा जायेगा।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2021-22 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग) (कैटेगरी) तथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होगें। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 02 माह के अन्दर सम्पन्न करनी होगी।

2. (अ) सत्र 2021-22 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा प्रवेश शुल्क के साथ 200/- रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ब) एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(स) (i) एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2 (इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणीके छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बी0ए0एल0एल0बी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(द) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी0पी0ई0एस0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो, परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है।

(२) एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा **PCM/Statistic/Computer Science/ I.T./B.E./B.Tech. & BCA** उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा **50%** अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए **5%**की छूट मान्य होगी।

(ल) एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्राओं जिन्होन बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, ये छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णक प्रतिशत **45%** होना चाहिए तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम **50%** अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए **5%** की छूट अनुमन्य होगी।

(ब) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(श) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2021 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेगें।

- महाविद्यालय खुलने के तिथि : शासनादेश के अनुसार
- स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 13 अगस्त 2021
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 31 अगस्त 2021
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 06 सितम्बर 2021
  स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय : 06 सितम्बर 2021
  प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 09 सितम्बर 2021

उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेगें। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकगें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर लिया है एवं परास्नातक स्तर पर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण कर लिया है, यदि किसी करणोंवश आगामी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत छात्र के रूप में देना चाहते है एवं उनके पास कोई प्रयोगात्मक विषय नही है तथा अन्तराल के नियमों के अन्तर्गत आते है, वे समस्त छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते है।

(द) यदि छात्र/छात्रा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी अर्हता परीक्षा में दो वर्षो से अधिक का अन्तराल है तो ऐसी दशा में आवासीय पाठ्यक्रमों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते है परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें:

- किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया है।
- किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।
- किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् न हो।
- कहीं सेवारत न हों

ऐस विद्यार्थियों के प्रवेश में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

(य) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नही ले सकेगें।

4. नियमानुसार एल0एल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0एल0एल0बी0 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 06 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। अन्तराल को दृष्टिगत रखते हुये प्रवेश का निर्णय महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा लिया जायेगा तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नही भेजा जायेगा।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें :-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He Shall However, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University, Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith"

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता हैं।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) <u>स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी :-</u>

(1) बी०एस०सी० (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बी०एस०सी० (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण

(3) बी०एस०सी० (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बी०एस०सी० (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बी०ए०/बी०कॉम० के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level Along with revised shceme of studies)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस-सी० (कृषि)/बी०एस-सी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ० प्र० बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड पाईंट/मार्क्स होना प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) *स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :-*

(i) उत्तर प्रदेश की भौगालिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी०आई० 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक-ii क्रमांक iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक-i के अभ्यिर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

I- अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

II- प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य चक्रानुसार।

III- एस०एन० मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट :- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश "प्रोवीजनल" भी नहीं देगा।

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों में अनुपालन में किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये ।

शैक्षणिक अंको की गणना :

7. (क) स्नातक कक्षाएँ :–

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंक/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंक/ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ :–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 100 प्रतिशत।

नोट :- (1.) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनीवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेगें।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हो, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंको का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षाएँ :

1. क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रुप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए-
   (क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक
2. एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को, 8 अंक
   अथवा
   एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को, 6 अंक
   अथवा
   एन०सी०सी० केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और **2** कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित पौत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक
5. बी०कॉम० (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ :

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–
   - (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये – 8 अंक।
   - (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये – 7 अंक।
   - (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये – 6 अंक।
   - (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये – 3 अंक।

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–
   - (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक।
   - (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक।
   - (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक।
   - (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक।

3. एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट/जी–**2** उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

   अथवा

   एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण–पत्र धारक कैडिटों को 6 अंक

   अथवा

   एन०सी०सी० केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और **2** कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

4. एन० एस० एस० में 240 घण्टें का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोबर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

   अथवा

   महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो –
   - (क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक।
   - (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक।
   - (ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक।
   - (घ) प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक।

नोट :- उपर्युक्त **1** से **5** के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन०सी०सी० अधिकारी/एन०एस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोबर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षाएँ :

1. डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्री/पुत्र तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रेंक के केवल पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स /अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी०ए०सी०) में कार्य करते हुए विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में - 17 अंक

टिप्पणी :-

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा और यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :

1- किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2- उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन०सी०सी० अधिकारी/एन०एस०एस० अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा की हो, यदि इनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नाताकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया लायेगा ।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन 'अपटू-डेट' जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें। प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली-भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10- आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11- अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू०पी० बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण-पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बार्ड/प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12- नई शिक्षा नीति-२०२० के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

कुलसचिव

बी.ए. (प्रथम वर्ष)

i मुख्य अध्ययन विषय (Major & Minor)

1- कला एवं मानविकी संकाय (Art & Humanities Faculty)

a) शिक्षा शास्त्र (Education)
b) अर्थशास्त्र (Economics)
c) गृह विज्ञान (Home Science)
d) शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
e) राजनीति शास्त्र (Political Science)
F) समाज शास्त्र (Sociology)

2- भाषा संकाय (Faculty of Language)

a) हिन्दी सामान्य/ हिन्दी साहित्य
b) अंग्रेजी सामान्य/अंग्रेजी साहित्य
c) संस्कृत सामान्य/संस्कृत साहित्य

3- ललित कला संकाय (Fine Arts)

a) संगीत वादन (सितार अथवा तबला)
b) संगीत गायन

ii अनिवार्य को करीकुलर विषय (Compulsory Cocurricular subjects) :-

a) खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food and Nutrition)
b) प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Health Hygiene)
c) शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education & Yoga)
d) मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
e) विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरस (Analogical Ability and Digital Awareness)
d) संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication skills and personality development)

iii रोजगार परक विषय (Vocational Courses) :-

1- Diploma in Beauty & Health Care
2- Diploma in Fashion Technology
3- Diploma in Web Design
4- Diploma in Computer Application
5- Diploma in Interior Decoration & Design.

बी.ए. (द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष)

बी.ए. द्वितीय वर्ष – पर्यावरण शिक्षा (अनिवार्य विषय)

वैकल्पिक विषय :-

1. हिन्दी साहित्य/हिन्दी सामान्य 2. अंग्रेजी साहित्य/सामान्य अंग्रेजी
3. संस्कृत साहित्य/संस्कृत सामान्य 4. समाज शास्त्र 5.राजनीति विज्ञान
6. संगीत गायन 7. संगीत वादन (सितार / तबला) 8. शिक्षा शास्त्र
9. अर्थशास्त्र 10. गृहविज्ञान (स्ववित्त पोषित) 11. शारीरिक शिक्षा

विषयों के चयन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर प्रवेशाधिकारी से सुझाव लें। प्रवेश के बाद विषय परिवर्तन की अनुमति नही प्रदान की जायेगी किन्हीं कारणवश परिवर्तन अत्यधिक आवश्यक हो तो बन्धित छात्रा को चाहिए कि वह विषय परिवर्तन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्रवेशाधिकारी एवं सम्बन्धित विषय प्रवक्ता के माध्यम से प्राचार्या के सम्मुख प्रस्तुत करें। तथा ततसम्बन्धी आवेदन-पत्र के साथ 20/- रू0 शुल्क देय होंगे। तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। कक्षायें प्रारम्भ होने के पश्चात विषय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जायेगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात विषय परिवर्तन संभव न होगा।

1. पी.जी.डी.सी.पी. (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्पयूटर प्रोग्रामिंग)
2. एम0ए0 हिन्दी (स्ववित्तपोषित) 3.एम0ए0 संगीत वादन(तबला) (स्ववित्तपोषित)
4. एम0ए0 शिक्षाशास्त्र (स्ववित्तपोषित) 6.एम0ए0 समाजशास्त्र (स्ववित्तपोषित)
5. एम0ए0 अंग्रेजी (स्ववित्तपोषित) 7.एम0ए0 संस्कृत (स्ववित्तपोषित)

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में उ0प्र0 के शासनादेश के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण देय है।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया :

- **सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science /Arts/ Commerce /Management etc) का चुनाव करेगा।**
- **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबधित संकाय में प्रवेश देना।**
- **तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।**
- **इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।**
- **प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।**

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुन: प्रवेश की प्रक्रिया :-

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि :-

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें :-

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- विद्यार्थी को कोर्स-आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।

- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

परीक्षा व्यवस्था :-

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को -करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी।

5- अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे, जिसमें दो प्रमुख विषय, एक माइनर विषय दो सह-पाठ्यक्रम एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelo's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelors Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी-एच0डी0 ;चीण्क्द्ध की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7- प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेंडिग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8- पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-602/सत्तर-3-2021-08 (35)/2020 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9- अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0आ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

मोनिका गर्ग
अपर मुख्य सचिव

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु नियम

१. प्रत्येक प्रवेशार्थी सर्वप्रथम कार्यालय से प्रवेश-पत्र तथा महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त करें। छात्रा को चाहिए कि प्रवेश-पत्र में अपेक्षित विवरण ध्यानपूर्वक भरें। प्रवेश पत्र को पहले प्रवेशाधिकारी प्राध्यापिका से स्वीकृत करावें।

२. प्रवेश-पत्र के साथ प्रत्येक छात्रा को (क) हाईस्कूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित प्रतिलिप (ख) गत परीक्षा की अंक तालिका की अभिप्रमाणित प्रतिलिप (ग) अन्तिम संस्थागत प्राचार्य द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र तथा स्थानान्तरण तथा देशान्तर प्रमाण-पत्र देने होगें। (घ) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र देना आवश्यक हैं।

३. प्रवेश-पत्र पारित और हस्ताक्षर युक्त हो जाने के अनन्तर प्रार्थी छात्राओं को कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करके उसकी रसीद ले लेनी चाहिये।

४. महाविद्यालय खुलने पर छात्रा को समय सारिणी तथा अन्य जानकारियों के लिये सूचनापट देखना चाहिये।

परिचय-पत्र

१. यह परिचय-पत्र प्रत्येक छात्रा को कार्यालय में प्रदान किया जायेगा।

२. यह अहस्तान्तरणीय है।

३ इस परिचय-पत्र को सर्तकता से रखना चाहिये। खो जाने पर तदर्थ निर्धारित फीस देने के पश्चात् ही इसे पुनः प्राप्त किया जा सकेगा।

प्रार्थना

छात्राओं में नैतिक एवं आध्यात्मिक भावना जाग्रत कर उन्हें शिष्टाचार व चरित्र गठन के महत्व का यथेष्ठ बोध कराने की दिशा में एक ठोस कदम महाविद्यालय की दैनिक सामूहिक प्रार्थना व सद्विचार व्याख्या है। प्रार्थना स्थल पर उस समय महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य है।

महाविद्यालय का परिधान

विद्यालय भवन में छात्रा को नियमित रुप से टमैटोपिंक रंग का कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद रंग का दुपट्टा पहनना अनिवार्य है। महाविद्यालय में स्लैक्स पहनकर आना निषिद्ध है। साड़ी पहनने वाली छात्रा को इसी रंग की साड़ी तथा सफेद ब्लाऊज पहनना चाहिये।

शीतकाल में छात्राओं को गहरी महरुन रंग की जर्सी पहनना अनिवार्य है।

महाविद्यालय का समय

महाविद्यालय का समय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा। प्रार्थना के समय उपस्थिति ली जायेगी और अनुपस्थित छात्राओं हेतु दण्ड की व्यवस्था है। एक मास तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्रा का नाम कट जायेगा। यदि कोई छात्रा अध्ययनकाल के मध्य में जाना चाहती है तो उन्हें प्रार्थना-पत्र देकर प्राचार्य की अनुमति प्राप्त करनी होगी। अधिक अच्छा यही होगा कि महाविद्यालय में आने के पश्चात् अवकाश के लिये प्रयास न करें।

परीक्षायें

प्रत्येक छात्रा जो अपने विषय के व्याख्यानों में निर्धारित 75 प्रतिशत से कम उपस्थित रहती है विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अधिकारी नही होगी इसके अतिरिक्त सत्र में एक बार महाविद्यालय में परीक्षायें होगीं जिनमें प्रत्येक छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थित छात्रा को पाँच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड देना होगा।

पुस्तकालय

1. महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा को पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है।
2. सदस्यता ग्रहण करने के लिये छात्रा को अपना पूरा परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय द्वारा एक नामांकन प्रपत्र पुस्तकालय की सदस्यता के लिये दिया जायेगा। प्रपत्र को भरकर और अपने अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर छात्रा इसे पुस्तकालय में वापस कर देगी। तभी उसे पाठक प्रपत्र प्रदान किये जायेंगे।
3. प्रत्येक छात्रा रीडर्स टिकट के अनुसार ही पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर सकती है।
4. पुस्तकें प्राप्त करने में ध्यान रखने योग्य बातें -
   (क) कार्ड कैटलॉग का प्रयोग करें।
   (ख) रीडर्स टिकट खो जाने पर पुस्तकालय को तुरन्त सूचना दी जाये पुनः रीडर्स टिकट बनवाने निमित्त छात्रा को 2 रु0 प्रति पत्र देना होगा।

(ग) छात्रा को पुस्तक सामान्यतः दो सप्ताह के लिये ही दी जायेगी किन्तु अधिक मांग में रहने वाली पुस्तकें इससे कम समय के लिये भी दी जा सकती हैं।

(घ) निश्चित समय से आगे पुस्तक रखने पर छात्रा से 1 रुपया प्रतिदिन विलम्ब दण्ड लिया जायेगा।

(ड) पुस्तक खो जाने पर छात्रा को वर्तमान मूल्य देना होगा।

(च) सन्दर्भ पुस्तकें छात्रा को निर्गमित नही की जायेगी।

(छ) समस्त पुस्तकें विश्वविद्यालय परीक्षा से 15 दिन पूर्व पुस्तकालय में वापिस करनी होंगी।

वाचनालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय भवन में वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है वाचनालय में विविध पत्रिकायें तथा समाचार पत्र छात्राओं को अध्ययन हेतु सुलभ हैं। वाचनालय में अध्ययन करते समय छात्राओं को पूर्ण शान्ति बनायें रखना आवश्यक है।

छात्र परिषद् अन्य परिषद्

महाविद्यालय में निम्नांकित विषय परिषद्रों का गठन है –

1. अन्तः सलिला हिन्दी साहित्य परिषद्
2. अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य परिषद्
3. रश्मि रम्या संस्कृत साहित्य परिषद्
4. रसराजिता संगीत कला परिषद्
5. इतिका समाजशास्त्र परिषद्
6. ज्योतिवसना शिक्षाशास्त्र परिषद्
7. स्वस्तिमती राजनीति शास्त्र परिषद्
8. समृद्धि शीला अर्थशास्त्र परिषद्
9. शारदीया पत्रिका प्रकाशन समिति
10. विवेकानन्द भागीरथी परिषद्
11. रंग स्मृति परिषद्
12. अन्नपूर्णा परिषद्
13. लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा परिषद

नियमानुसार इन परिषद्रों की सदस्यता अनिवार्य है। विषय परिषद् के अतिरिक्त अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिये इस महाविद्यालय में अनुशासन व सद्भावना बनाये रखने के लिए निम्नांकित समितियों का गठन है जिनकी सदस्यता छात्रा की रुचि के अनुसार है।

क्रीडा समिति	:	लैफ्टि0 भावना टिम्मल
अनुशासन समिति	:	श्रीमती सपना, कु0 चेतना मिश्रा, कु0 अनुपमा तिवारी
वाद-विवाद आयोजन समिति	:	कु0 चेतना मौर्य, श्रीमती ललिता देवी, डॉ0 रंजना
छात्र कल्याण समिति	:	श्रीमती सपना, डा0 रेखा रानी
सांस्कृतिक परिषद्	:	डॉ0 (श्रीमती) मंगला तलेगांवकर, डा0 अनीता
	:	डॉ0 लोकेन्द्र तलेगांवकर
चिकित्सा समिति	:	डा0 दीपा यादव, डा0 अपर्णा सक्सैना

क्रियान्वन समिति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020)

क्र०सं०	प्रकोष्ठ का नाम	कार्य
1	उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ	डॉ0 दीपा यादव डॉ0 रंजना
2	ऑनलाइन शिक्षा प्रकोष्ठ	डॉ0 मंगला तलेगांवकर कु0 अनुपमा तिवारी
3	शिक्षण प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	श्रीमती सपना कु0 चेतना मिश्रा
4	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ	डॉ0 रेखा रानी डॉ0 अर्पणा सक्सैना
5	संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ	डॉ0 मंगला तलेगांवकर लै0 भावना टिम्मल
6	एक्टिविटी क्लब	लै0 भावना टिम्मल श्रीमती सपना
7	भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ	कु0 चेतना मौर्य
8	अंर्तराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ	कु0 अनुपमा तिवारी
9	दिव्यांग सहायता एवं वचित समूह सहायता योजना प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ	कु0 अनुपमा तिवारी
10	मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ	कु0 ललिता पाण्डेय डॉ0 रेखा रानी

राष्ट्रीय छात्र योजना (N.S.S.)

छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय के प्रारम्भ से ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित 2 वर्षीय सदस्यता योजना है। इसमों छात्राओं की 240 घण्टे का सामान्य कार्य एवम् विशेष शिविर करना होता है। इस योजना का मुक्ष्य उद्देश्य छात्राओं में संगठन, सहयोग, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास एवम् सर्वोपरि सामाजिक सेवा एवं परोपकार इत्यादि गुणों को विकसित करना है ।

वर्तमान में कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सपना के द्वारा कुशलता से संचालित किया जा रहा है।

नेशनल कैडेट कोर *(N.C.C.)*

भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना महाविद्यालय में प्रारम्भ से ही चल रही है ।अत्यन्त हर्ष का विषय है कि विगत चार वर्षों से यह योजना महाविद्यालय की शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता लैफ्टिनेंट श्रीमती भावना टिम्मल के कुशल निर्देशन में चल रही है ।इस योजना के माध्यम से छात्रायें राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हो कर महाविद्यालय को गौरवान्वित कर चुकी हैं। इस योजना द्वारा संचालित **"C"** प्रमाण पत्र प्राप्त कैडेट्स को सरकारी सेवाओं में प्राथकिता प्राप्त होती है।

एन.सी.सी. का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सहासी, निर्भीक एवं आत्मविश्वासी बनाना है ।इसमें ट्रेनिंग, फायरिंग, घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण इत्यादि गतिविधियाँ शामिल हैं। इस योजना के तहत छात्राओं ने गणतन्त्र दिवस परेड (राजपथ, दिल्ली) के लिये चयनित होकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है।

छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त

1. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति।
2. परिगणित जाति छात्रवृत्ति केवल प्रथम श्रेणी अथवा उत्कृष्ट द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं के लिए।
3. विकलांग छात्रवृत्ति केवल (मुख्य चिकित्साधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रदत्त

उत्तर प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी वर्गों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा

महाविद्यालय में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें भी छात्राओं को प्राप्त हैं तथा महाविद्यालय समय में कोई छात्रा अचानक अस्वस्थ हो जाती है तो उसे सम्बन्धित अध्यापिका डॉ० दीपा यादव को सूचना देनी चाहिए। छात्रा को प्राथमिक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

अन्य विशिष्ट सुविधा

महाविद्यालय में समय-समय पर छात्राओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण चित्रकला, कपड़ो की रंगाई, छपाई, पाक विद्या आदि। इच्छुक छात्रायें छात्र अधिकारी से सम्पर्क करती रहें।

क्रीडा, खेल-कूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण

छात्राओं के बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक विकास हेतु महाविद्यालय में खेल-कूद सम्बन्धी गतिविधियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस समय महाविद्यालय में दौड़, वालीबॉल, बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस आदि क्रीडा सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

छात्राओं को खेल-कूद में प्रदर्शन करने, उन्हें अच्छे खिलाड़ी बनने की प्ररणा देने हेतु परिसर में खेलों और क्रीडाओं की व्यवस्था, प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध एवं क्रीडा समारोह का आयोजन, क्रीडा अधिकारी की देख-रेख में होता रहता है।

प्राचार्या

छात्राओं के लिये सामान्य नियम

1. सभी छात्राओं को कक्षा में नियमित रहना तथा समय में उपस्थित होना चाहियें। छात्राओं से अपेक्षित है कि महाविद्यालय के बाहर अपना व्यवहार सुशील व अनुशासित रखें।
2. छात्राओं को परस्पर व्यवहार में सदाचार के नियमों का ध्यान रखना चाहिये छात्राओं को बरामदे और कक्षाओं के सामने विचरण नहीं करना चाहियें।
3. छात्राओं को खाली समय में छात्रा कक्ष में बैठना चाहिये तथा छात्रायें कक्षाओं के द्वार पर अथवा उसके आस पास या प्राँगण में वार्तालाप करती हुई या घूमती हुई दिखाई न दें।
4. प्राचार्या की अनुमति के बिना सूचना पट पर कोई भी सूचना विज्ञापन तथा समाचार पत्र के उद्धरण नहीं लगाये जा सकते है।
5. निर्धन छात्राओं को महाविद्यालय की ओर से पुस्तक शुल्क मुक्ति देने की व्यवस्था है साथ ही छात्रा की अध्ययन सम्बन्धी योग्यता पर ध्यान दिया जायेगा।
6. खेल-कूद एवं क्रीड़ा-महाविद्यालय में छात्राओं के शारिरिक प्रशिक्षण के लिये कई विभिन्न प्रकार के आडट-डोर व इनडोर खेलों की व्यवस्था है। आउटडोर खेलों में मुख्यता बालीवाल, टेबिल टेनिस, बैडमिन्टन है। इनडोर खेलों का समुचित प्रबन्ध है। सभी छात्राओं का खेल-कूद में भाग लेना अनिवार्य है।
7. पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष का प्रयोग करते समय पुस्तकालय नियम का पालन करना चाहिये। अध्ययन के समय पूर्णतः शान्त रहना चाहिये।
8. छात्रा को ध्यानपूर्वक शुल्क सम्बन्धी नियमों को अंकित कर लेना चाहिये इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अवहेलना कठिनाइयाँ उपस्थित कर सकती है।
9. विद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व प्रत्येक छात्रा का होगा। यदि कोई इसको हानि पहुँचाता है तब एक उत्तरदायी छात्रा के नाते उसे रोकना एवं इसकी सूचना क्रीड़ाधिकारी को देनी होगी।
10. छात्रायें आवश्यक कार्य से एवं आज्ञा से ही प्राचार्य कक्ष, प्रवक्ता कक्ष तथा लिपिक कक्ष में प्रवेश करें।
11. छात्रायें महाविद्यालय में मोबाइल लेकर नहीं आयेंगी, इस नियम का पालन अत्यन्त आवश्यक है।
12. छात्रायें किसी भी दशा में प्रलेखों में लिखित मोबाइल नं0/फोन नं0 पूरे शिक्षा सत्र में परिवर्तित नहीं करेंगी।
12. महाविद्यालय परिसर में छात्रायें सफाई का विशेष ध्यान रखेंगीं।

ले0 भावना टिम्मल

प्राचार्या

श्रीमती शा० जौ० न० पा० क० महाविद्यालय, कासगंज

प्रवेश के लिये सम्पर्क करें

1. प्रवेशाधिकारी बी0ए0 प्रथम वर्ष – श्रीमती सपना, डा0 रेखारानी
   डा0 अपर्णा सक्सैना, डा0 अनीता
2. प्रवेशाधिकारी बी0ए0 द्वितीय वर्ष – डा0 दीपा यादव, अनुपमा तिवारी
3. प्रवेशाधिकारी बी0ए0 तृतीय वर्ष – चेतना मौर्य, चेतना मिश्रा
4. प्रवेशाधिकारी समस्त एम0ए0 कक्षाओ हेतु – श्रीमती ललिता देवी, डा0 रंजना

शिक्षिका मण्डल

प्राचार्या : ले० भावना टिम्मल एम०पी०ई० (शारीरिक शिक्षा) यू.जी.सी. नेट

कला एवं मानविकी संकाय

शिक्षा शास्त्र विभाग

1. श्रीमती सपना, असिस्टेंट प्रोफेसर (M.A., M.Ed., UGC NET JRF)
2. डा. रेखा रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर (M.Sc., M.Ed., UGC NET JRF, Ph.D)
3. रिक्त पद- 01

अर्थशास्त्र विभाग :-

पद रिक्त- 01

शारीरिक शिक्षा विभाग:-

1. लेक्टि. श्रीमती भावना टिम्मल- असिस्टेंट प्रोफेसर, (एम.पी.ई. (शारीरिक शिक्षा), यू.जी.सी. नेट
2. पद रिक्त-1

राजनीति शास्त्र विभाग:-

1. कु0 अनुपमा तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर (M.A., M.Phil., UGC NET)
2. कु0 चेतना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर (M.A., UGC NET JRF)
3. रिक्त पद

समाज शास्त्र विभाग :-

1. रिक्त पद- 01

गृह विज्ञान विभाग

1. रिक्त पद- 01

2. भाषा संकाय

हिन्दी विभाग

1. कु0 चेतना मौर्या - असिस्टेंट प्रोफेसर (M.A.,UGC-NET-JRF)
2. श्रीमती ललिता देवी - असिस्टेंट प्रोफेसर (M.A.,UGC-NET-JRF)
3. रिक्त पद- 02
4. संविदा शिक्षिकाः डा0 अपर्णा सक्सेना (M.A.,Ph.D.,)
5. संविदा शिक्षिका : डा0 रंजना (M.A., B.Ed., Ph.D.,)

अंग्रेजी विभाग :-

1. डा0 दीपा यादव, असिस्टेंट प्रोफसर (M.A., Ph.D, B.Ed., M.Ed.)
2. रिक्त पद-03

संस्कृत विभागः-

1. रिक्त पद-01
2. संविदा शिक्षिका : डा. अनीता (M.A., (हिन्दी, संस्कृत), Ph.D.)

3. ललित कला संकाय

संगीत विभाग :-

1. डा0 श्रीमती मंगला तलेगांवकर- एसोशिएट प्रोफेसर M.A., संगीत वादन (तबला, सितार) Ph.D.
2. रिक्त पद-01

4. एकेडमी ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज

1. निदेशक - लेफ्टि. श्रीमती भावना टिम्मल
2. उप निदेशक- श्रीमती सपना
3. प्रभारी लिपिक- डा0 अनूप गुप्ता
4. लैब बॉय-कम-परिचर

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1.	डॉ0 अनूप गुप्ता एम0ए0 (अर्थ0), एम0कॉम0, पी0एच0डी0	प्रभारी कार्यालय अधीक्षक
2.	डॉ0 लोकेन्द्र तलेगांवकर एम0कॉम0,एम0ए0 संगीत (वादन) तबला, पी.एच.डी.,संगीत प्रवीण यू0जी0सी-नैट	तबला संगतकार
3.	रिक्त पद	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड द्वितीय
4.	रिक्त पद	पुस्तकालय लिपिक
5.	रिक्त पद	लिपिक

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अंशकालिक कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1. **श्री अशोक बाबू - एम.ए. (अर्थशास्त्र) , CCC**

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1.	पद रिक्त	दफ्तरी
2.	पद रिक्त	बुक लिफ्टर
3.	पद रिक्त	सेविका
4.	पदरिक्त	माली-कम-चौकीदार
5.	पद रिक्त	रात्रि चौकीदार
6.	पद रिक्त	सेवक
7.	पद रिक्त	सेविका
8.	पद रिक्त	सफाई कर्मी

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अंशकालिक दैनिक वेतन भोगी

1. **श्री कर्मवीर सिंह(सेवक)**
2. **श्रीमती मीरा (सेविका)**
3. **श्री गिरवर सिंह(रात्रि चौकीदार)**
4. **श्रीमती मन्जू (सफाई कर्मचारी)**

सूचना

सभी प्रवेशार्थी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित विषय कक्षाओं में अपना नाम लिखवा दें, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।

उपस्थिति

सभी विद्यार्थीयों को सूचित किया जाता है कि उनके महाविद्यालय की सभी विषयों की कक्षाओं में (प्रयोगात्मक सहित) 75% उपस्थिति आवश्यक है । इससे कम उपस्थित होने पर वे विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित न हो सकेंगे एवं छात्रवृत्ति से भी वंचित रहेंगे।

नये प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अपना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र व चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

फीस भुगतान सम्बन्धी अनुदेश

1. शिक्षा फीस तथा अन्य मासिक फीस वर्ष में 12 महीने जुलाई से जून तक के लिये देय है।
2. विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुरुप फीस तालिका में परिवर्तन किया जा सकता हैं।
3. प्रत्येक छात्रा को पूरे सत्र की फीस प्रवेश लेते समय जमा करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक छात्रा को चाहिए कि दिये गये धन की फीस लिपिक द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त कर ले। रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए।
5. विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र केवल तभी दिये जायेंगे जब कि छात्रायें महाविद्यालय का समस्त फीस और समस्त वस्तुयें जमा कर देंगी तथा चुकती पत्र पर सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर कराकर जमा कराये ।

सत्र 2021-2022 हेतु संस्थागत बी0ए0 (प्रथम वर्ष) पाठ्यक्रम फीस

1.	प्रवेश शुल्क	रू0 03/-
2.	महंगाई रू0 20/-	रू0 240/-
3.	खेल	रू0 250/-
4.	वाचनालय	रू0 15/-
5.	चिकित्सा	रू0 50/-
6.	पुस्तकालय प्रसंगिक	रू0 12/-+50/-
7.	मैगजीन	रू0 40/-
8.	छात्र कल्याण निधि	रू0 12/-
9.	पी0एस0 एड.	रू0 12/-
10.	उष्ण एवं शीत	रू0 120/-
11.	परिचय पत्र	रू0 8/-
12.	परीक्षा शुल्क/ नामांकन शुल्क	रू0 155/1755/-
13.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	रू0 50/-
14.	वार्षिक उत्सव	रू0 10/-
15.	भवन रख रखव	रू0 30/-
16.	विकास	रू0 30/-
17.	नामांकन शुल्क	रू0 300/-
18.	उपाधि शुल्क	रू0 200/-
19.	साईकिल स्टैण्ड शुल्क	रू0 300/-
20.	प्रक्टीकल विषय शुल्क (एक विषय/दो विषय)	रू0 265/-/ 505/-

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

अवकाश सूची वर्ष-2021

त्यौहारों के नाम	छुट्टियों की संख्या	ग्रिगेरियन कलैण्डर के अनुसार	सप्ताह के दिन
गुरूगोविन्द सिंह जयन्ती (कार्यकारी आदेश के अधीन)	1	20 जनवरी, 2021	बुधवार
गणतन्त्र दिवस	1	26 जनवरी, 2021	मंगलवार
बसंत पंचमी	1	16 फरवरी, 2021	मंगलवार
मो. हजरत अली का जन्म दिन	1	26 फरवरी, 2021	शुक्रवार
महाशिव रात्रि	1	11 मार्च, 2021	गुरूवार
होलिका दहन	1	28 मार्च, 2021	रविवार
होली	1	29 मार्च, 2021	सोमवार
होली (भाई दूज)	1	30 मार्च, 2021	मंगलवार
गुड फ्राइडे	1	02 अप्रैल, 2021	शुक्रवार
डॉ. भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस	1	14 अप्रैल, 2021	बुधवार
रामनवमी	1	21 अप्रैल, 2021	बुधवार
महावीर जयंती	1	25 अप्रैल, 2021	रविवार
ईद-उल-फितर	1	14 मई, 2021	शुक्रवार
बुद्ध पूर्णिमा	1	26 मई, 2021	बुधवार
ईदज्जुहा (बकरीद)	1	21 जुलाई, 2021	बुधवार
कैलाश मेला (स्थानीय अवकाश)	1	9 अगस्त, 2021	सोमवार
स्वतन्त्रता दिवस	1	15 अगस्त, 2021	रविवार
मोहर्रम	1	19 अगस्त, 2021	गुरूवार
रक्षा बंधन	1	22 अगस्त, 2021	रविवार
जन्माष्टमी	1	30 अगस्त, 2021	सोमवार
उर्स हजरत अबुलउल्लाह साहब (स्थानीय अवकाश)	1	17 सितम्बर, 2021	शुक्रवार
चेहल्लुम	1	28 सितम्बर, 2021	मंगलवार
महात्मा गाँधी जयन्ती	1	02 अक्टूबर, 2021	शनिवार
दशहरा (महा अष्टमी)	1	13 अक्टूबर, 2021	बुधवार
दशहरा (महा नवमी)	1	14 अक्टूबर, 2021	गुरूवार
दशहरा (विजय दशमी)	1	15 अक्टूबर, 2021	शुक्रवार
ईद-ए-मिलाद/बाराबफात	1	19 अक्टूबर, 2021	मंगलवार
दीपावली	1	04 नवम्बर, 2021	गुरूवार
गोवर्धन पूजा	1	05 नवम्बर, 2021	शुक्रवार
भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती	1	06 नवम्बर, 2021	शनिवार
गुरू नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा	1	19 नवम्बर, 2021	शुक्रवार
गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस (कार्यकारी आदेश के अधीन)	1	24 नवम्बर, 2021	बुधवार
क्रिसमस-डे	1	25 दिसम्बर, 2021	शनिवार

नोट- विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी श्रीराम बारात के दिन अपरान्ह से जिलाधिकारी के अधीनस्थ सभी कार्यालय एवं न्यायालय बन्द रखने की परंरा है। अत: इसके लिये अगल से कोई आदेश पारित नहीं किये जायेंगे।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

निबन्धित अवकाश सूची वर्ष-2021

त्यौहारों के नाम	छुट्टियों की संख्या	ग्रिगेरियन कलैण्डर के अनुसार	सप्ताह के दिन
नव वर्ष दिवस	1	01 जनवरी, 2021	शुक्रवार
जन नायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस	1	24 जनवरी, 2021	रविवार
हजरत ख्वाजा का उर्स	1	19 फरवरी, 2021	शुक्रवार
सन्त रविदास जयन्ती	1	27 फरवरी, 2021	शनिवार
होली	1	30 मार्च, 2021	मंगलवार
ईस्टर सैटर-डे	1	03 अप्रैल, 2021	शनिवार
ईस्टर मन-डे/महर्षि कश्यप/म0 गुहा जयन्ती	1	05 अप्रैल,2021	सोमवार
चेटीचन्द्र जयन्ती	1	13 अप्रैल, 2021	मंगलवार
चन्द्रशेखर जयन्ती	1	17 अप्रैल, 2021	शनिवार
लो0 न0 महाराणा प्रताप जयन्ती	1	09 मई, 2021	रविवार
परशुराम जयन्ती	1	14 मई, 2021	शुक्रवार
ईद-उल-फितर	1	15 मई, 2021	शनिवार
ईद-उल-जुहा (बकरीद)	1	22 जुलाई, 2021	गुरूवार
मोहर्रम	1	21 अगस्त 2021	शनिवार
विश्वकर्मा पूजा	1	17 सितम्बर, 2021	शुक्रवार
अनन्त चतुर्दशी	1	19 सितम्बर, 2021	रविवार
महाराजा अग्रसेन जयन्ती	1	07 अक्टूबर, 2021	गुरूवार
महर्षि बाल्मिक जयन्ती	1	20 अक्टूबर, 2021	बुधवार
सरदार बल्लभ भाई पटेल/ आचार्य नरेन्द्र देव ज0	1	31 अक्टूबर, 2021	रविवार
नरक चतुर्दशी	1	03 नवम्बर, 2021	बुधवार
छठ पूजा पूर्व	1	10 नवम्बर, 2021	बुधवार
वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस	1	16 नवम्बर, 2021	मंगलवार
चौधरी चरण सिंह जयन्ती		23 दिसम्बर,2021	गुरूवार
क्रिसमस ईव		24 दिसम्बर, 2021	शुक्रवार

श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या
कासगंज
NCC
9 UP BN HATHRAS
श्रीमती राजवती प्रधान
NATIONAL CADET CORPS
9 UP BATTALION NCC, HATHRAS
SMT. S. J. NPK DEGREE COLLEGE KASGANJ
उ.प्र. राज्य महिला आयोग

महाविद्यालय गान

मांगल्यमयी पावन गंगा–सा महा ज्ञान का आलय है।
हम लहरें हैं इस धरा की यह वाणी का देवालय है।।
रहें सदा हम सत्यव्रती जीवन सौन्दर्य जगायेंगे।
अन्तर्घट में हों शिव जागृत धरती को स्वर्ग बनायेंगे।
मांगल्यमयी पावन गंगा–सा .....
शत–शत वन्दन हम करते हैं भगवती सदा कल्याण करें।
हंसारूढ़ा सरस्वती माँ विमल विवेक प्रदान करें।
मांगल्यमयी पावन गंगा–सा .....

महाविद्यालय भवन

महाविद्यालय का पुस्तकालय

Designed & Printed By :

Singhal Press

Near Tehsil, Kasganj. Ph. : 05744-242368, (M) 9897539389